भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1674

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

एकल मतदाता सूची

1674. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील :

श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार समूचे देश के लिए एकल मतदाता सूची तथा देश में समस्त निर्वाचित निकायों के लिए एक साथ चुनावों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मंत्री मंडल सचिव ने इस संबंध में सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की थी ;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक के क्या निष्कर्ष रहे ;

(घ) क्या इस संबंध में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में कोई आम सहमति बनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन प्रस्तावों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इस मामले में मौजूदा स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : जी, नहीं । वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । हाल ही में मुद्दे पर मंत्रिमंड़ल सचिव द्वारा ली गई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कुछ राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्थानीय निकाय के निर्वाचनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचन नामावली का पहले से ही प्रयोग कर रहे है । शेष राज्यों को समय, प्रयास और व्यय की बचत, कार्य के दोहरीकरण और मतदाताओं के बीच भ्रम को कम करने में राष्ट्रीय हित के आधारों पर अपने स्थानीय निकाय के निर्वाचनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली को सहयोजित करने के लिए राजी करने का एक विनिश्चय किया गया ।

****